कार्यालय, उप वन संरक्षक, टौंस वन प्रभाग, पुरोला (उत्तरकाशी)।। <u>E-mail-dfo tons@yahoo.co.in.phone/fax-01373-223328</u> पत्रांक 2681 /1254 दिनांक, पुरोला, 10-06~ 2019।

सेवामें.

वन संरक्षक,

यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड,

देहरादून।

विषय:-

जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी के अन्तर्गत सुपिन नदी पर प्रस्तावित 44 मे0वा0 क्षमता की जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु 24.317 है0 वन भूमि के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः

भारत सरकार की पत्रांक सं0—8बी/यू०सी०पी०/01/146/2018/एफ०सी०/1950 दिनांक 17—12—2018 एवं वन संरक्षक, यमुना वृत्त उत्तराखण्ड, देहरादून की ई०डी०एस० क्वेरी दिनांक 14.05.2019।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र से दर्ज आपत्तियों का निराकरण निम्न प्रकार किया जाता है:—

क0सं0	ई०डी०एस०क्वैरी	प्रति उत्तर
1.	The authority letter uploaded is for Sh. J.K. Mahajan at para A-3 (xvii) online part-1 while the applicant details filled are for sh. Gambhir Singh Pundir at A-3.	The objection has been removed online and offline by U.A.
2.	At para B 2.3 online part-1 village wise breakup uploaded for area 16.804 Ha only while the detail to Notional land as per land schedule uploaded as additional document in part-1 of 5.2630 Ha and RF area 2.25 ha is not given at para B 2.3.	and offline by U.A.
3.	In para B 2.4 component wise breakup provided for 36 components in forest and non forest area while only 8 components are shown in the digital map uploaded online.	The objection has been removed online and offline by U.A.
4.	A single KML file required to be uploaded for the whole project showing all component as per para B 2.4 online part-I instead of patch wise.	The objection has been removed online and offline by U.A.
5	Justification for locating the project in the forest land required to be authenticated by DFO.	The objection has been removed online and offline by U.A.
6.	The density given for Govind Pushu Vihar Division is 0.4 appears to be wrong in view of felling involved i.e. 69 trees/ ha.	The objection has been removed by Govind Wild Life Sanctuary.
7.	The NPV calculated for dense forest category for area falls in the Govind Pushu Vihar Division.	The objection has been removed by Govind Wild Life Sanctuary
8.	There are no tree enumeration provided for Tons Division while the density is shown as 0.4 and the NPV is calculated for dense forest.	An area of 2.25 ha. Forest land will be effected for mining purpose and no tree is being effected hence the forest density will be 0.1. Value of NPV @ Rs. 6.57 lakh per ha. (Lowest rate) will be Rs. 14,

9.	The column after para 13 are not visible online part-II	Point mentioned in part-II, para- 13 has been rectified.
10.	In the implementation agreement the capacity is said to be 33 MW (3x11) while the proposal is for 44 MW	
11.	Administrative approval and Techno- economic clearance of the state of Uttarakhand is neither found uploaded in online part-I & II nor provided in hard copy of the proposal.	Economic Clearance has been approved by state Govt. of Uttarakhand on vide no.
12.	Most of the documents in the proposal submitted are in photo copy.	The objection has been removed online and offline by U.A.
13.	Muck disposal plan submitted by the user agency is not verified by DFO.	Muck disposal plan has been signed/ verified by DFO is attached.

अतः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भववीय,

(आर०पी० मिश्रा) उप वन सरक्षक, टौन्स वन प्रभाग पुरोला।

olc



एसजेवीएन लिमिटेड जखोल-सांकरी हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट मोरी, उत्तरकाशी (उत्तराखण्ड़)— 249128 **2:** 01373-234401.

Website:www.sjvn.nic.in CIN: L40101HP1988GOI0084

पत्रांक-एसजेवीएन / जसांजविपरि / वन भूमि / 19- 🌡

दिनॉकः ०7 166 2019

सेवामें.

1. उप-वन सरक्षक, टोन्स वन प्रभाग, पुरोला, उत्तरकाशी।

> गोविन्द वन्य जीव विहार/राष्ट्रीय पार्क, पुरोला, उत्तरकाशी।

विषय:- जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी के अन्तर्गत सुपिन नदी पर प्रस्तावित 44 मे0वा० क्षमता की जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु 24.317 है0 वन भूमि के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः i) कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी,वन संरक्षण इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक संख्या 2611/FP/UK/HYD/22889/2016 दिनांक 29.03.2019.

ii) कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून ई०डी०एस दिनांक 15.05.2019.

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपके कार्यालय की ई०डी०एस दिनांक 15.05.2019 के सम्बन्ध में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के द्वारा वान्छित सूचनाएं बिन्दु संख्या 1 से 13 तक ऑनलाईन फार्म ए के पार्ट-1 में यथा स्थाान अपलोड करते हुये हार्ड प्रति में भी बिन्दुवार सूचनाएं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है जो निम्न प्रकार है-

	A D	प्रतिउत्तर	टिप्पणी
क्र सं०	ई०डी०एस०क्वैरी	The applicant detail sh. J.K.	एसजेवीएन के पत्रांक
1.	The authority letter uploaded is for Sh. J.K. Mahajan at para A-3 (xvii) online part-1 while the applicant details filled are for sh. Gambhir Singh Pundir at A-3.	Mahajan A-3 online part-1 has been filled.	संख्या— एसजेवीएन/जसांजी वपरि/वन भूमि/19706—07 दिनांक 02.04.2019 के माध्यम से सूचित
2.	At para B 2.3 online part-1 village wise breakup uploaded for area 16.804 Ha only while the detail to Notional land as per land schedule uploaded as additional document in part-1 of 5.2630 Ha and RF area 2.25 ha is not given at para B 2.3.	land i.e. 22.067 ha has been revised and RF area 2.25 ha has been also mentioned at para B 2.3 part-l	,

3.	wise breakup provided for 36 components in forest and non forest area while only 8 components are shown in the	ordinate has been provided for the project component and above has been mentioned in the digital map according to project component duly authenticated by	परोकतानुसार ।
4.	A single KML file required to be uploaded for the whole project showing all component as per para B 2.4 online part-I instead of patch	mentioning all component has been uploaded.	उपरोकतानुसार ।
5	wise. Justification for locating the project in the forest land required to be authenticated	Justification for locating the project in the forest land has been signed by DFO at para D (I)	उपरोकतानुसार ।
6.	by DFO. The density given for Govind Pushu Vihar Division is 0.4 appears to be wrong in view of felling involved i.e. 69 trees/ ha.	Civil Soyam Land effected from Govind Wild Life is 22.67 ha. Felling of 69 trees per ha. Is involved in above land and forest density of the same will be 0.1.	कार्यालय —उपनिदेशक, गोविन्द वन्य जीव विहार/ राष्ट्रीय पार्क, पुरोला के पत्रांक संख्या— 1478/12—1 दिनांक 24.04.2019. के माध्यम से सूचित किया जा चुका है।
7.	The NPV calculated for dense forest category for area falls in the Govind Pushu Vihar Division.	Value of NPV @ Rs. 6.57 lakh per ha. (Lowest rate) will be Rs. 1,44,98,019.00.	उपरोक्तानुसार।
8.	There are no tree enumeration provided for Tons Division while the density is shown as 0.4 and the NPV is calculated for dense forest.	will be effected for mining purpose and no tree is being effected hence the forest density will be zero. Value of NPV @ Rs. 6.57 lakh per ha. (Lowest rate) will be Rs. 14, 78,250.00.	प्रभाग, पुरोला (उत्तरकाशी) पत्रांक संख्या— 2298 / 12- दिनांक 23.04.2019
9.	The column after para 13 are not visible online part-II	Point mentioned in part-II, para- 13 has been rectified.	
10.	· less entation	between SJVN and Govt. of	same is uploaded/ enclosed.

11.	Administrative approval and Techno- economic clearance of the state of Uttarakhand is neither found uploaded in online part-I & II nor provided in hard copy of the proposal.	Administrative approval / Techno- Economic Clearance has been approved by state Govt. of Uttarakhand on vide no. 624/I/2019-04 (08) 77/2005 dated 03.06.2019.	Cilologo
12.	Most of the documents in the proposal submitted are in photo copy.	The documents like Part-I to V, compensatory a forestation plan, NOC under Forest Right Act from village level committee, Block level committee and District level committee, Certificate of utilization for compensatory a forestation, estimate of NPV amount & bill for NPV in original along with proposal are enclosed however other document shall be attested if required. Muck disposal plan has been	्र १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १
13.	Muck disposal plan submitted by the user agency is no verified by DFO.	if ad by DEC	संख्या-एसजेवीएन/ जसांजविपरि/वन भूमि/19706-07 दिनांक 02.04.2019 के माध्यम से सूचित किया जा चुका है।

यह परियोजना भारत सरकार एवं हिमाचल प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम है तथा इस परियोजना का निर्माण जनहित में किया जाना है । वन भूमि हस्तान्तरण को विद्युत मंत्रालय भारत सरकार एवं एसजेवीएन के मध्य वित्तीय वर्ष 2018–19 में MOU target के अधीन था।

अतः उपरोक्त विषक के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही करने हेतु गम्भीरता से विचार करने की कृपा करें।

धन्यवाद।

(जे0क0 महाजन) अपर महाप्रबन्धक / परि० प्रमुख AGM (HOP)

भवदीय

J.S. HEP. Mori, Uttarkashi Uttarakhand प्रेषक,

कै0 आलोक शेखर तिवारी, अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

्रअध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, एस०जे०वी०एन० लि०, शक्ति भवन, कॉरपोरेट ऑफिस कॉम्पलेक्स, शनन, शिमला—171 006

ऊर्जा अनुभाग-01

देहरादून : दिनांक : 3 मई, 2019

विषय:- जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना (44 मेगावॉट) की डी०पी०आर० विषयक। महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय पत्र अ०शा०प०सं०—SJVN/CC/CMD/2018-Camp Dehradun दि0—19—09—2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना (44 मेगावाँट) की पुनरीक्षित डी०पी०आर० पर अनुमोदन प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

तत्क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना (44 मेगावॉट) की पुनरीक्षित डी०पी०आर० निम्नलिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत की जाती है :--

- 1. विकासकर्ता द्वारा डी०पी०आर० में दर्शायी गई परियोजना की अप्रैल, 2016 के अनुसार कुल लागत रू० 477.15 करोड़ (With IDC & Front End Fee & With Escalation) से भविष्य में यदि किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने पर, पुनः शासन को अवगत कराना होगा।
- 2. विकासकर्ता द्वारा परियोजना के विभिन्न अवयवों हेतु सभी आवश्यक भूमि एवं भूगर्भीय परीक्षण परियोजना के विस्तृत परिकल्पन/अभियन्त्रण से पूर्व कराये जायेंगे तथा तदनुसार ही परियोजना निर्माण प्रारम्भ किया जाएगा।
- 3. विकासकर्ता द्वारा परियोजना के निर्माण के दौरान विशेष स्थलीय परिस्थितियों एवं अन्यथा की स्थिति में डीoपीoआरo में प्रस्तावित संरचनाओं से भिन्न संरचनाओं के निर्माण पर शासन को अवगत कराना होगा।
- 4. विकासकर्ता द्वारा भविष्य में परियोजना से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के अन्वेषण/निरीक्षण कार्य कराये जाने पर उनकी रिपोर्ट उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित की जायेंगी।
- 5. विकासकर्ता द्वारा प्रचलित मानकों के अनुसार परियोजना स्थल विशेष का भूकम्पीय अध्ययन कराया जाएगा तदानुसार परियोजना के विभिन्न अवयवों का विस्तृत परिकल्पन/अभियन्त्रण कराया जाएगा।
- 6. विकासकर्ता द्वारा परियोजना के क्रियान्वयन से पूर्व परियोजना से उत्पादित होने वाली ऊर्जा के निस्सरण हेतु सम्बन्धित विभाग/संस्थान से पुष्टि एवं अनुबन्ध किया जाएगा।

- 7. विकासकर्ता द्वारा परियोजना के निर्माण हेतु प्रस्तावित खनन स्रोत अथवा नदी तल की सामग्री के उपयोग से पूर्व उनकी गुणवत्ता एवं उपयुक्तता के लिये सभी आवश्यक जांच कर ली जाएगी तथा परीक्षण में उपयुक्त पाये जाने पर उपयोग की जाएगी। प्रस्तावित खनन स्रोत अथवा नदी तल की सामग्री का उपयोग, आवश्यक संवैधानिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाएगा।
- 8. विकासकर्ता द्वारा परियोजना विशेष से सम्बन्धित पुर्नवास एवं पुर्नस्थापना नीति (R&R Policy) तैयार की जाएगी, जो कि किसी भी स्थिति में भारत सरकार की पुर्नवास एवं पुर्नस्थापना नीति 2013/उत्तराखण्ड सरकार की पुर्नवास एवं पुर्नस्थापना नीति, 2013 अथवा भारत सरकार/उत्तराखण्ड सरकार की अन्य सम्बन्धित नीतियों में दिये गये प्राविधानों से कमतर नहीं होगी। पुनः विकासकर्ता द्वारा उक्त नीति को सम्बन्धित जिला प्रशासन तथा उत्तराखण्ड शासन से अनुमोदित कराया जाएगा।
- 9. विकासकर्ता द्वारा इस परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी किये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना होगा एवं परियोजना से वन्य जीव प्रभावित होने की स्थिति में सम्बन्धित विभागों से आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त की जाएगी।
- 10. विकासकर्ता द्वारा परियोजना को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने हेतु आधुनिक उपकरण एवं सॉफ्टवेयर के उपयोग से परियोजना का अनुश्रवण (Monitoring) किया जाएगा।
- 11. विकासकर्ता द्वारा टोंस एवं यमुना नदी घाटी हेतु किये जा रहे संचयी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन में दिये जाने वाले संस्तुतियों का पालन किया जाएगा।
- 12. विकासकर्ता द्वारा परियोजना की खुदाई से उत्पन्न हुए मलबे का नियमानुसार उचित एवं उपयुक्त व्यवस्था के अन्तर्गत निस्तारण किया जाएगा।
- 13. विकासकर्ता द्वारा पर्यावरणीय एवं जीव—जन्तु आवश्यकता के लिए डायवर्जन से परियोजना की डी०पी०आर० के अनुसार अथवा राज्य सरकार/वन एवं पर्यावरण विभाग के निर्देशानुसार, जो भी अधिक होगी, आवश्यक न्यूनतम जल की मात्रा अवश्य ही नदी में छोड़ी जाएगी।
- 14. परियोजना के क्रियान्वयन से पूर्व विकासकर्ता द्वारा परियोजना से उत्पादित ऊर्जा के विक्रय मूल्य की व्यवहारिकता जाँच ली जायेंगी।
- 15. विकासकर्ता द्वारा परियोजना के विकास, निर्माण एवं संचालन से सम्बन्धित उत्तराखण्ड सरकार एवं भारत सरकार द्वारा जारी की गई एवं भविष्य में जारी की जाने वाली विभिन्न नीतियों एवं दिशा—निर्देशों का समय—समय पर कड़ाई से पालन किया जाएगा।
- 16. विकासकर्ता द्वारा परियोजना के विकास एवं निर्माण की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित की जाएगी। पुनः उत्तराखण्ड शासन को किसी भी समय परियोजना की प्रगति रिपोर्ट की आवश्यकता पड़ने पर विकासकर्ता द्वारा अविलम्ब उपलब्ध करायी जायेगी।
- 17. विकासकर्ता द्वारा मूल डी०पी०आर में सभी सुधारों, संशोधनों एवं संलग्नकों का उपयुक्त समावेश/संशोधन करते हुए अन्तिम/नवीनतम डी०पी०आर० की 03 प्रतियां (हार्ड एवं सॉफ्ट) उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध करायी जायेंगी।

- उत्तराखण्ड शासन के अधीन यह अधिकार होगा कि उपरोक्त दिये गये विभिन्न टिप्पणियों / शर्तों का समुचित पालन न होने की दशा में, डी०पी०आर० की स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।
- उत्तराखण्ड राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं हेतु स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (एल०ए०डी०एफ०) के अनुमोदन की प्रक्रिया जारी है, जिसके प्राविधानों का पालन विकासकर्ता द्वारा किया जायेगा।

(कै0 आलोक शेखर तिवारी) अपर सचिव।

संख्या— (2)/1/2019-04(08)/77/2005, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- प्रबन्ध निदेशक, यूजेवीएन लि0, देहरादून।
- निदेशक, ऊर्जा सैल,देहरादून।
- गार्ड फाईल।

(प्रकाश चन्द्र जोशी) उप सचिव।